

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर

मिसल नं० ४२


दिनांक:- 10.5.2018

:: निर्णय ::

प्रार्थी श्री मोगजी, वल्लभराम, भेमजी पिता कचरू कुरी बेवा कचरू 1/2 के खातेदार श्री मोगजी नि० हथाई ने न्याय आपके द्वार अभियान 2018 लोक अदालत में दिनांक 10.05.2018 को इस आशय का एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 ले०रे०एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की मौजा सतू पंचायत समिति डूंगरपुर में स्थित खाता संख्या 364 पर आराजी नं० 1849 कुल 00 बीघा 05 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 05 बिस्वा पर प्रार्थी मालिक काबिज होकर कृषि काश्त करता आ रहा है और अप्रार्थीगण से आये दिन सीमा (हेडे, पारी) की बात को लेकर विवाद होता है और लडाईं झगडा करते हैं। इस वजह से प्रार्थी अपनी उक्त आराजी पर पत्थरगढी कराना चाहता है। जिस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी श्री नाथूलाल, भुरालाल पिता रतनजी, लाल बेवा रतनजी उन्न व्यस्क नि० हथाई हथाई के खातेदार श्री मोगजी ने भी पत्थरगढी करने की सहमति दी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम हथाई की जमाबंदी सम्बत् 2071-74 खसरा नं० 1848 रकबा 00 बीघा 10 बिस्वा की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रार्थी द्वारा नक्शा ट्रेस एवं जमाबंदी प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी खातेदार काश्तकार है ओर विपक्षीगणों द्वारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया गया एवं पत्थरगढी हेतु सहमति प्रदान की गई है। इस प्रकार मौजा हथाई में स्थित खाता संख्या 364 पर आराजी नं० 1849 कुल 00 बीघा 05 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 05 पत्थर गढी कराने का हकदार है।

लिहाजा मौजा हथाई में स्थित खाता संख्या 364 पर आराजी नं० 1849 कुल 00 बीघा 05 बिस्वा किता 01 योग रकबा 00 बीघा 05 की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार, डूंगरपुर संबंधित भू०अ० निरीक्षक के नैतृत्व में टीम गठीत कर बिना किसी अन्य खातेदार के खाते को डिस्टर्ब किये पत्थर गढी की जावे। तहसीलदार, डूंगरपुर को तहरीर जारी हो पत्थरगढी शुल्क रू० 1000 /- प्रार्थी स्वयं राजकोष में जमा करावे तभी पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी,
डूंगरपुर